

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-5251/2021(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 0.2701 hectare of forest land in favour of MC Shimla for the construction of Ambulance road from Anji road to Gautam Niwas via Govt. Primary School Ghora Chowki Kms. 0/00 to 0/800 Ward No. 9, Kachighati Shimla Tehsil and SitRICT Shimla within the jurisdiction of Forest Division Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/119280/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर File No.FC/HPB/06/49/2022 दिनांक 16/12/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1^प वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2^प परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 3^प **प्रतिपुरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 540 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जहां व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपुरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

- 4^प **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 5^प राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापन पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- 6^प The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the working permission or submitting the compliance report of Stage-II approval. Undertaking in this regard, is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
- 7^प एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 8^प Complete FRA certificate alongwith all consultation and meetings of the concerned authorities has been uploaded with compliance report of user agency concerned.
- 9^प प्रयोक्ता अभिकरण आई आर0 सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 10^प संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
- 11^प प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 31 पेड़ों का कटान किया जाएगा। बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 12^प The user agency has deposited amount of SMCP in view of the guidelines issued vide letter dated 07.06.2022 by the Ministry.
- 13^प A undertaking/certificate in this regard has been submitted by DFO concerned and uploaded with the compliance report of user agency on the web portal.
- 14^प इस आशय की बचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 15^प आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
- 16^प परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **261138 ₹0**, शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **288864 ₹0**, तथा **amount of SMCP Rs. 25000** जो कुल **575002 ₹0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपी आगामि कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 17^प इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 18^प केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 19^प वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलग्न है।
- 20^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

- 21^ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 22^ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 23^ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपोग नहीं किया जाएगा।
- 24^ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 25^ण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय-समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।
- 26^ण इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 27^ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 28^ण इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
- 29^ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०